

नोटिस

इस बैंक स्कीम के DEAF अर्न्तगत कवर हो गये सभी खाता धारको को सूचित किया जाता हैं। कि जिन खाता धारको द्वारा अपने खाते से 10 वर्ष या इस से अधिक समय हो गया है और इन खातों में लेन देन नहीं किया है और खाते निष्क्रिय (Unclamid) हो गया हैं वह सम्बन्धित निष्क्रिय खाता धारक बैंक की सम्बन्धित शाखा जिस में उसका खाता है खाते से जमा राशि निकलवाने हेतू खाता धारक अपना आधार कार्ड व पैन कार्ड साथ ले जा कर RBI को DEAF में भेजो राशि प्राप्त कर सकता हैं।

हस्ता०

महाप्रबंधक

दी जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० जीन्द